संघ की राजभाषा नीति

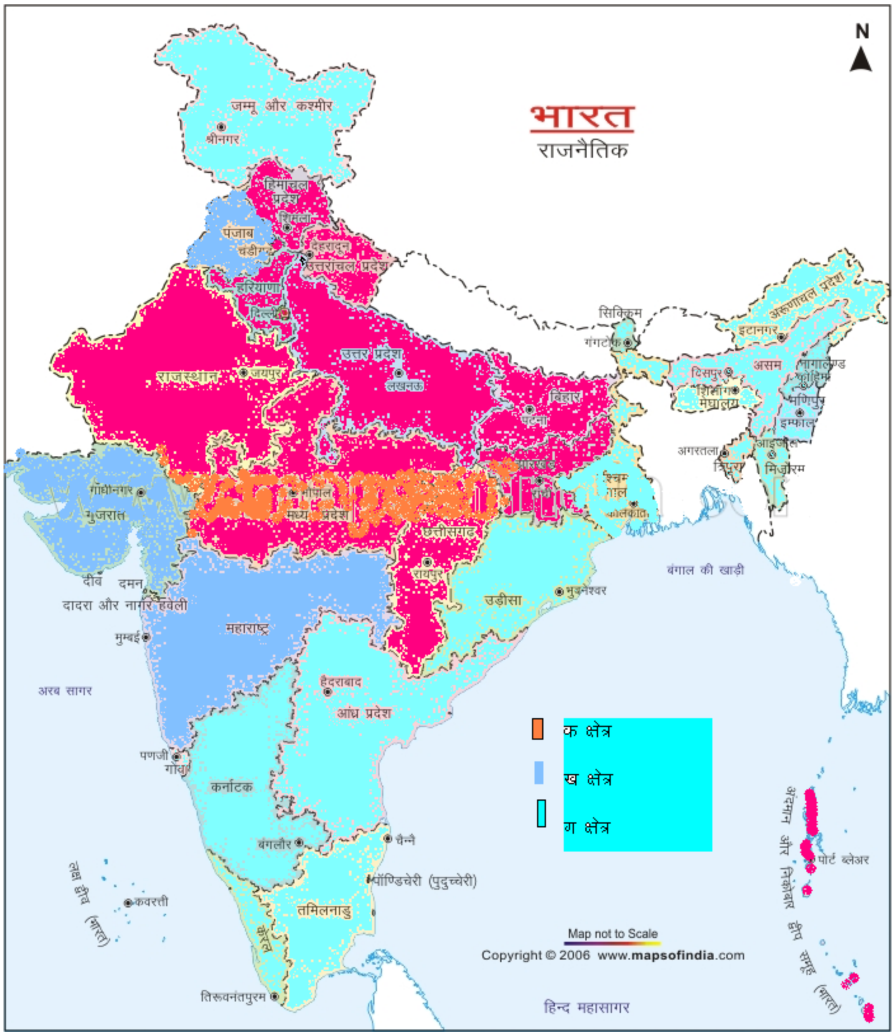

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र
अहमदाबाद - 380 015

संघ की राजभाषा नीति

संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

120 (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा ।

परंतु, यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी में "ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हों ।

1. संघ की राजभाषा

343 (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी ।

संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा ।

(2) खंड (1) से किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था । परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पंद्रह साल की कालावधि के पश्चात् विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, अथवा
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

351. हिंदी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति की माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और अष्टम् सूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।

अष्टम अनुसूची
(अनुच्छेद 344(1) और 351)

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू
4. कन्नड़
5. कश्मीरी
6. कोंकणी
7. गुजराती
8. डोगरी
9. तमिल
10. तेलगू
11. नेपाली
12. पंजाबी
13. बंगला
14. बोड़ो
15. मणिपुरी
16. मराठी
17. मलयालम
18. मैथिली
19. संथाली
20. संस्कृत
21. सिंधी
22. हिंदी

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम 1963
(1963 का अधिनियम सं. 19-10 मई, 1963)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लायी जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा ।

(2) धारा जनवरी 3, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "नियत दिन" से, धारा (3) के संबंध में, जनवरी 1965 का 26 वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है, जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है -

(ख) "हिंदी" से वह हिंदी अभिप्रेत है , जिसकी लिपि देवनागरी है ।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना :

संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही -

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिन के लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी, तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लायी जाती रह सकेंगी ।

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है , पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी :

परंतु जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है , बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजन के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा -

(1) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ;

(2) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय को और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या किसी कार्यालय के बीच ;

(3) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच ;

प्रयोग में लायी जाती है, वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कंपनी का कर्मचारीगण हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(1) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं,

(2) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज- पत्रों के लिए,

(3) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी द्वारा या किसी ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदाप्ररूपों के लिए , प्रयोग में लायी जाएंगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के क्रियाकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है ।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3), और उपधारा (4) के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और तब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता ।

4. राजभाषा के संबंध में समिति : - (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है, उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी ।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के अध्यक्ष होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफ़ारिश करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवायेगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन विचार करने के पश्चात उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा ।

1. [परंतु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे ।]

5. केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद - (1) नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित -

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गये किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुनःस्थापित किए जाने हों , अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए ।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद - जहाँ किसी राज्य के विधान मंडल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ, संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा के उसके अनुवाद में अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग - नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

8. नियम बनाने की शक्ति - (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिलाकर 30 दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में दो समवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा हो या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किंतु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपांतर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

9.कतिपय उपबंधों का जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होना : धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू व कश्मीर राज्य को लागू नहीं होंगे ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 1976

[राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976]

सा.का.नि.1052 - केंद्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है ।

(2) इन नियमों का विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है ।

(ख) केंद्रीय सरकार के कार्यालय में निम्नलिखित भी सम्मलित हैं, अर्थात :-

(1) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय ;

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय ; और

(3) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय ;

(ग) "कर्मचारी" से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "अधिसूचित कार्यालय" से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "हिंदी में प्रवीणता" से नियम 9 में यथा वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

(च) "क" क्षेत्र से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड अभिप्रेत हैं ;

(छ) "ख" क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ;

(ज) "ग" क्षेत्र से, खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र
अभिप्रेत हैं ;

(झ) "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

3. राज्यों आदि, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि : (1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से "क" क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण अवस्थाओं के सिवाय, हिंदी में होंगे, तथा यदि कोई पत्रादि उनमें से किसी को अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से -

(क) "ख" क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि उसे अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उसके साथ-साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

परंतु यदि कोई राज्य यह इच्छा करता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके कार्यालयों में से किसी के लिए आशयित पत्रादि, उतनी अवधि तक जो संबंधित राज्य की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अंग्रेजी में या हिंदी में दूसरी भाषा में अनुवाद सहित, भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे :

(ख) "ख" क्षेत्र के राज्य में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी में अथवा अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं ।

(3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से "ग" क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे ।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, "ग" क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से "क" क्षेत्र या "ख" क्षेत्र के राज्य को या ऐसे राज्य में (केंद्रीय सरकार के कार्यालय से भिन्न) किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं ।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि :-

(क) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी में या अंग्रेजी में हो सकते हैं ।

(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने के लिए सुविधाओं और उनके आनुषंगिक विषयों को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर अवधारित करे ;

(ग) "क" क्षेत्र में स्थित, खंड 'क' या खंड 'ख' में विनिर्दिष्ट से भिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालय के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे ।

(घ) "क" क्षेत्र और "ख" क्षेत्र या "ग" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में या अंग्रेजी हिंदी में होंगे ।

(ङ) "ख" क्षेत्र या "ग" क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में या अंग्रेजी हिंदी में हो सकते हैं ; परंतु ऐसे पत्रादि के साथ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद-

(1) जहाँ पत्रादि "क" क्षेत्र के कार्यालय को संबोधित है, वहाँ यदि आवश्यक हो तो, पहुँच के स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा ;

(2) जहाँ पत्रादि "ग" क्षेत्र में के कार्यालय को संबोधित है वहाँ ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उपलब्ध कराया जाएगा ;

परंतु यह और कि दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है ।

(5) हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर - नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में होंगे ।

(6) हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ही प्रयोग - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही प्रयोग में लाई जाएंगी और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं ।

(7) आवेदन, अभ्यावेदन, आदि - कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में अंग्रेजी में कर सकता है ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन जब भी हिंदी में किया जाए या उसमें हिंदी में हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा ।

(3) जब कोई कर्मचारी यह वांछा करता है कि सेवा विषयों से (जिसमें अनुशासनिक कार्रवाइयां सम्मलित हैं) संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी में या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे बिना किसी अनुचित विलंब के उसी भाषा में दी जाएगी ।

(8) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना - (1) कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी में या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे ।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग, तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है अन्यथा नहीं ।

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि अमुक दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो उसका विनिश्चय विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसा अधिसूचित कार्यालय विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।

(9) हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है यदि-

(क) उसने मैट्रिक परीक्षा या उसकी कोई समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा, हिंदी की परीक्षा के माध्यम के रूप में अपनाकर, उत्तीर्ण की है ; अथवा

(ख) स्नातकोत्तर परीक्षा में अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी उसका एक वैकल्पिक विषय था अथवा

(ग) वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है ।

(10) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान - (1) कर्मचारी के बारे में समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है -

(क) यदि उसने -

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है ; अथवा

(2) केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की है : अथवा

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : अथवा

(ख) यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है

(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय के कर्मचारीवृन्द के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है यदि उस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारीवृन्द में से 80% ने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

(3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारण कर सकेगा कि केंद्रीय सरकार के कार्यालय के कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं ।

(4) केंद्रीय सरकार के उन कार्यालयों के नाम, जहाँ के कर्मचारीवृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारीवृंद का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से गिर गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकता है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रहेगा ।

11. मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य, स्टेशनरी के सामान, आदि-

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित, साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग में लाए जाने वाले प्ररूपों और रजिस्टरों के शीर्ष हिंदी और अंग्रेजी में होंगे ।

(3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा स्टेशनरी की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी ।

परंतु केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है ।

12. अनुपालन का उत्तरदायित्व - (1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह -

(1) यह सुनिश्चित क रे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है ; और

(2) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच पड़ताल के उपाय करे ।

(3) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकता है जैसे कि आवश्यक हों ।